न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश बिजनौर।
विशेष सत्रवाद संख्या 565/2016
सरकार बनाम साबु सिंह

मु0अप0सं0 166/2016
धारा 138 बी विद्युत अधिनियम
थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

19–07–2017 **आदेश**

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त साधु सिंह पुत्र भगीरथ सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 166/2016 अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम थाना किरतपुर जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है,कि उसे झूँठा फॅसाया गया है। उसने कोई विधुत चोरी नही की है। प्रार्थी के पास विधुत कनैक्शन नं0 235/6007/001865 विभाग द्वारा प्रार्थी के पिता जी के नाम जारी किया गया है जिससे वह अपने ट्यूबवैल को चलाता है और अपने खेतो की सिचाई करता है। वाद उपरोक्त में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नही है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। इस कारण उसने जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा कहा गया है,कि आवेदक अभियुक्त द्वारा बकाया अदायगी में कनैक्शन काटे जाने के उपरान्त अदायेगी जमा न करके अवैध रूप से कनैक्शन जोडा गया और चैकिंग के दौरान काटा गया है। उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की मांग की गयी है।

मैंने अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रकरण की केस डायरी सहित समस्त उपलब्ध प्रत्राजात का अवलोकन किया।

पत्राजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त का कनैक्शन बकाया की अदायगी में काटा जाना तथा बकाया की अदायगी के बिना अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से जोडा जाना बताया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नही है। अभियुक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। कनैक्शन घरेलू विधुत उपभोग का है,जिसके संबंध में बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा बकाया विधुत बिल की आंशिक धनराशि अंकन 60,000रूपये जमा कर दी गयी है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं अभियुक्त को जमानत का पात्र पाता हूँ। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त साधु सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अंकन 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानती दाखिल व निष्पादिन करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक 19–07–2017

विशेष न्यायाधीश/ अपर सत्र न्यायाधीश
बिजनौर।